



नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलम्बन

फतेहगढ़ पुलिस



* मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण *

#OperationConviction

दिनांक-14.05.2026

थाना नवाबगंज

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान व "मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण" के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. सुमित कुमार पुत्र हंसराम 2. हंसराम पुत्र पातीराम 3. श्रीमती रामकली पत्नी हंसराम निवासी गण सोना जानकीपुर थाना नवाबगंज जनपद फर्रुखाबाद मु0अ0स0- 207/2023 वाद संख्या 969/2023 धारा 498ए,304बी भादवि0 व 3/4 डीपी एक्ट थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहररि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-01 कोर्ट द्वारा दिनांक 14.05.2026 को अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 07-07 वर्ष की सजा व 15000-15000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री तेज सिंह



एडीजीसी - श्रीमती दीपिका कटियार



को0 मो0 हे0 का0 सुनील कुमार



पैरोकार -हे0 का0 विपिन